रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2000/श्रावण 3, 1922

No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2000/SRAVANA 3, 1922

GOVERNMENT

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 जून, 2000

सा.का.नि. 632(अ).—23-5-2000 को भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(i) के पृष्ठ 4 पर प्रकाशित सा.का.नि. 485(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा 1. उप पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाए :—

1. (2) ये 1 अगस्त, 2000 से प्रवृत्त होंगे।

[सं. VI/401/18/2000]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980 बाहरी) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 657(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50 (अ) दिनांक 7-2-1980
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469 (अ) दिनांक 24-6-1982
3. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325 (अ) दिनांक 12-4-1983
4. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494 (अ) दिनांक 29-3-1985
5. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345 (अ) दिनांक 29-3-1985
6. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 860 (अ) दिनांक 4-11-1985
7. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155 (अ) दिनांक 21-11-1988
8. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100 (अ) दिनांक 4-3-1991
9. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 503 (अ) दिनांक 10-7-1993

10. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 622 (अ) दिनांक 27-6-1990
11. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 605 (अ) दिनांक 5-10-1998
12. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516 (अ) दिनांक 8-7-1999
13. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 827 (अ) दिनांक 29-12-1999
14. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34 (अ) दिनांक 12-1-2000
15. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472 (अ) दिनांक 22-5-2000
16. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473 (अ) दिनांक 22-5-2000
17. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485 (अ) दिनांक 23-5-2000
18. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584 (अ) दिनांक 4-7-2000

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th June, 2000

G.S.R. 632(E).—In partial modification of GSR 485 (E) published on page 4 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (i) on 23-05-2000, para 1, sub-para (2) may by substituted by following :

1. (2) These shall come into force from 1 August, 2000.

[No. VI/401/18/2000]

S. R. TAYAL, Jt Secy.

Note :—Principal rules published vide Notification No. GSR 657 (E) dated December 11, 1980 (1980 external) Part II, Section 3, sub-section (i) subsequently amended by :—

1. Notification No. GSR 50 (E) dated 07-02-1980
2. Notification No. GSR 469 (E) dated 24-06-1982
3. Notification No. GSR 325 (E) dated 12-04-1983
4. Notification No. GSR 494 (E) dated 29-03-1985
5. Notification No. GSR 345 (E) dated 29-03-1985
6. Notification No. GSR 860 (E) dated 01-11-1985
7. Notification No. GSR 1155 (E) dated 21-11-1988
8. Notification No. GSR 100 (E) dated 04-03-1991
9. Notification No. GSR 503 (E) dated 10-07-1993
10. Notification No. GSR 622 (E) dated 27-06-1990
11. Notification No. GSR 605 (E) dated 05-10-1998
12. Notification No. GSR 516 (E) dated 08-07-1999
13. Notification No. GSR 827 (E) dated 29-12-1999
14. Notification No. GSR 34 (E) dated 12-01-2000
15. Notification No. GSR 472 (E) dated 22-05-2000
16. Notification No. GSR 473 (E) dated 22-05-2000
17. Notification No. GSR 485 (E) dated 23-05-2000
18. Notification No. GSR 584 (E) dated 04-07-2000

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054